



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 21.02.2021

1-थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाली 01 महिला तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 11 किलोग्राम गांजा(कीमत लगभग 60 हजार रूपए) मय 01 स्कूटी बरामद।

दिनांक 21/02/2021 को थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाली 01 महिला तस्कर श्रीमति सीमा पत्नी जलालूद्दीन निवासी कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के टीसीएस कट तिराहा नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्ता के कब्जे से 11 किलोग्राम(कीमत लगभग 60 हजार रूपए) गांजा मय स्कूटी न0 यूपी 16 सीएन 7922 बरामद कि गई है। अभियुक्ता पूर्व मे भी कई बार नशीले पदार्थ की तस्करी के मामलों मे जेल गई है।

अभियुक्ता का विवरण:

श्रीमति सीमा पत्नी जलालूद्दीन निवासी भडनपुरा थाना उसराहार जिला एटा वर्तमान निवासी कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 79/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 66/16 धारा 60/63 आवकारी अधिनियम थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 374/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 576/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

11 किलोग्राम गांजा(कीमत लगभग 60 हजार रूपए) मय स्कूटी रजि0 न0 यूपी 16 सीएन 7922

2-थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 05 शातिर चोर/लूटेरे व 01 दुकानदार गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 21 मोबाइल फोन, 2500 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 04 अवैध चाकू, बेचे गये 07 मोबाइल फोन व 2000 रूपये दुकानदार के कब्जे से बरामद।

दिनांक 20.02.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 05 शातिर चोर/लूटेरे 1. किशोर कुमार पुत्र खजान सिंह 2. टिन्कू पुत्र दुरजन 3. सुनील उर्फ कासिम 4. रितिक पुत्र सुदेश 5. ईसान उर्फ राहुल पुत्र मेहरुद्दीन को थाना क्षेत्र के रॉयल इन्फील्ड तिराहा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2500 नकद रुपये सम्बन्धित मु0अ0सं0 158/21 धारा 392/411 भादवि, लूट/चोरी के 06 मोबाइल फोन (टच स्क्रीन) व 15 मोबाइल फोन कीपैड कुल 21 मोबाइल फोन व 04 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (पैशन न0 DL 5 SCK 4448 व स्पलेण्डर न0 UP 16 CQ 8983 बरामद हुए हैं। अभियुक्तों की निशादेही पर 01 अभियुक्त (दुकानदार) ज्वाला कुमार पुत्र विजय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी/लूट के 07 मोबाइल फोन व 2000 रूपये नकद बरामद किये गये हैं।

घटनाक्रम:

सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जो मिलकर एनसीआर व थाना क्षेत्र से आये दिन आते-जाते लोगों से मोबाइल फोन छीनते हैं तथा अभियुक्तों से बरामद सभी फोन इन्हीं अभियुक्तों द्वारा मोटर साइकिलों पर सवार होकर अलग-अलग स्थानों से चोरी/लूटे गये थे। अभियुक्त दुकानदार ज्वाला को मोबाइल जाकर बेच देते थे।

अभियुक्तों का विवरण:

1. किशोर कुमार पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम छिजारसी थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
2. टिन्कू पुत्र दुरजन निवासी ग्राम छिजारसी थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
3. सुनील उर्फ कासिम पुत्र ओमी लाल निवासी ग्राम छिजारसी थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
4. रितिक पुत्र सुदेश निवासी ग्राम छिजारसी थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
5. ईसान उर्फ राहुल पुत्र मेहरुद्दीन निवासी गली नं0 2 इन्दर विहार खोडा काँलोनी थाना खोडा जिला गाजियाबाद।
6. ज्वाला कुमार पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी शर्मा थाना शाहपुर जिला भोजपुर बिहार वर्तमान पता गढ़ी चौखंडी थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:

अभि0 किशोर

- 1.मु0अ0सं0 161/21 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 313/20 धारा 188/270 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

अभि0 टिकू

- 1.मु0अ0सं0 161/21 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 163/21 धारा 4/25ए एक्ट बनाम टिकू थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 159/21 धारा 379/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

अभि0 सुनील उर्फ कासिम

- 1.मु0अ0सं0 161/21 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 162/21 धारा 4/25 ए एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

अभि0 रितिक

- 1.मु0अ0सं0 161/21 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 165/21 धारा 4/25ए एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 120/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 158/21 धारा 392/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 159/21 धारा 379/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 6.मु0अ0सं0 64/21 धारा 398/401 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

अभि0 ईसान उर्फ राहुल

- 1.मु0अ0सं0 161/21 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 164/21 धारा 4/25ए एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 120/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 24 गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 158/21 धारा 392/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 159/21 धारा 379/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

अभि० ज्वाला कुमार

1. मु०अ०सं० 167/21 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. कुल 2500 रुपये नकद सम्बन्धित मु०अ०सं० 158/2021 धारा 392/411 भादवि भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
2. 06 मोबाइल फोन (टच स्क्रीन) जिसमें से 01 मोबाइल फोन रियलमी संबंधित मु०अ०सं० 159/2021 धारा 379/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।
3. 01 मोबाइल रियलमी सम्बन्धित मु०अ०सं० 120/2021 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा
4. 15 मोबाइल फोन कीपैड
5. 04 अवैध चाकू
6. घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (पैशन न० DL 5 SCK 4448 व स्पलेण्डर न० UP 16 CQ 8983)
7. 07 मोबाइल फोन व 2000 रूपये नकद दुकानदार ज्वाला के कब्जे से बरामद



3-थाना कासना पुलिस द्वारा 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.01.2021 को मु0अ0सं0 08/2021 धारा 272/273/420/467/468/471/120(बी) भादवि 60(क) आबकारी अधिनियम में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्तों 1. विनोद कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह ग्राम चन्दुली बेवर जिला मैनपुरी 2. आमोद कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह ग्राम चन्दुली बेवर जिला मैनपुरी 3. राम रहीश उर्फ पप्पू पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम नंगला दीपा थाना भौगाँव जिला मैनपुरी को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में इनके सह-अभियुक्तों को कासना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्तों के विवरण:

1. विनोद कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह ग्राम चन्दुली बेवर जिला मैनपुरी
2. आमोद कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह ग्राम चन्दुली बेवर जिला मैनपुरी
3. राम रहीश उर्फ पप्पू पुत्र फतेह सिंह निवासी ग्राम नंगला दीपा थाना भौगाँव जिला मैनपुरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 08/2021 धारा 272/273/420/467/468/471/120(बी) भादवि 60(क) आबकारी अधिनियम